

आदेश की क्रम
सं० एवं तारीख



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह।

(Email id-dccourt.grd@gmail.com)

Mutation Revision-01/2023

दीपक कुमार साहू-बनाम-शिवनाथ साव

आदेश पर
गई कार्रवाई
बारे में दि
तिथि सहित

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

03.01.25

अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित। प्रस्तुत **Mutation Revision 01/2023** वाद अंचल अधिकारी, गिरिडीह के यहाँ संधारित नामांतरण वाद सं० 815/2022-23 में दिनांक 10.08.2022 को पारित आदेश तथा इससे उद्भूत भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गिरिडीह के न्यायालय में संचालित ऑनलाईन दाखिल-खारीज अपील वाद सं० 592/2022-23 शिवनाथ साव बनाम राज्य में दिनांक 04.02.2023 को पारित आदेश जिसका मुख्य अंश निम्नवत है:-“अंचल अधिकारी, गिरिडीह द्वारा नामांतरण वाद सं० 815/2022-23 में पारित आदेश को खारिज किया जाता है एवं अंचल अधिकारी, गिरिडीह को आदेश दिया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा अपील वाद सं० 28/2021-22 में दिनांक 24.11.2022 एवं संशोधित आदेश दिनांक 09.01.2023 के आलोक में शिवनाथ साव के नाम से वादगत जमीन का नामांतरण करना सुनिश्चित करें।” के विरुद्ध दायर किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क, अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेज तथा निम्न न्यायालय के आदेश के अवलोकन एवं परीशीलन के उपरांत निम्न तथ्य परिलक्षित होता है:-

1. भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गिरिडीह द्वारा ऑनलाईन दाखिल-खारीज अपील वाद सं० 592/2022-23 शिवनाथ साव बनाम राज्य में दिनांक 04.02.2023 को पारित आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि विपक्षी दीपक कुमार साहू को नोटिस तामिला हेतु अंचल अधिकारी, गिरिडीह को email के माध्यम से भेजा गया था तथा विपक्षी दीपक कुमार साहू पिता-स्व० भिखो साहू द्वारा नोटिस का तामिला प्राप्त करने के बावजूद विपक्षी के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उक्त मामले में आवेदक शिवनाथ साव के पक्ष में नामांतरण करने का आदेश अंचल अधिकारी, गिरिडीह को दिया गया था, किन्तु वाद लंबित रहने के दौरान ही अंचल अधिकारी, गिरिडीह द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जा कर पुनः उसी मामले में नामांतरण वाद सं० 815/2022-23 में विपक्षी दीपक कुमार साहू के पिता-स्व० भिखो साहू के नामांतरण वाद की सुनवाई कर उनके नाम से नामांतरण किया गया, जो नियम के विरुद्ध एवं अंचल अधिकारी, गिरिडीह द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन है।

पु.

उपरोक्त तथ्य यह दर्शाता है कि आवेदक दीपक कुमार साहू द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गिरिडीह के न्यायालय में संचालित वाद में अनुपस्थित रहकर उसी अवधि में अंचल अधिकारी के न्यायालय में समान मामले में नामांतरण वाद दायर किया गया, जो स्थापित नियमों के विरुद्ध है।

2. आवेदक दीपक कुमार साहू द्वारा न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेज/तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया कि किस परिस्थिति और कारण से 1983 एवं 1985 में उनके द्वारा खरीद की गई जमीन का दाखिल-खारीज/लगान रसीद निर्गत कराने हेतु कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

—: आदेश :-

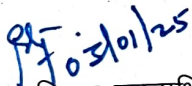
उपरोक्त तथ्यों के आलोक में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गिरिडीह द्वारा ऑनलाईन दाखिल-खारीज अपील वाद सं० 592/2022-23 में दिनांक 04.02.2023 को पारित आदेश से संतुष्ट होते हुए, Revisionist के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। आवेदक सक्षम न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र है।

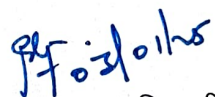
वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति उभय पक्षों को उपलब्ध करायी जाय।

विधि-व्यवस्था एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आज आदेश पारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

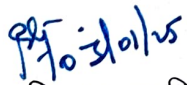

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

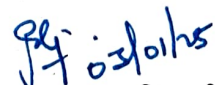

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

ज्ञापांक 04 न्या० दिनांक 03/01/2025

प्रतिलिपि:-भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-अंचल अधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।


उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।